

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0

आवेदन पत्र, 21/4 पर आधारित जांच के फल के अनुसार प्रमाणित किया गया है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम कृष्ण कुमार शर्मा है जो कि जमाबंदी में कृष्ण कुमार शर्मा के नाम पर है। रिपोर्ट पटवारी की जांच के बाद जांच के फल के अनुसार आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम कृष्ण कुमार शर्मा है।

क्रमांक कोसिल/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :- 19/06/23

उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम कृष्ण कुमार शर्मा है जो कि जमाबंदी में कृष्ण कुमार शर्मा के नाम पर है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

प्रशासन गांधी के संग अभियान 2023

19/06/23
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलखंड (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पौख	2075-78	436	कृष्ण कुमार शर्मा की जाति सैधवाल	कृष्ण कुमार शर्मा की जाति सैधवाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

282
21/6/23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांधी के संग अभियान - 2023
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/
प्रतिलिपि :-

253

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांधी के संग अभियान - 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी